



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01102021-230115
CG-DL-E-01102021-230115

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3718]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 1, 2021/आश्विन 9, 1943

No. 3718]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 1, 2021/ASVINA 9, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 2021

का.आ. 4052(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन्स (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 उप धारा (1) के अधीन जारी की गई, भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना जिसका प्रकाशन भारत के राजपत्र संख्या 3129 दिनांक 12.10.2020 का.आ. 3526(अ) दिनांक 07.10.2020 भाग II खण्ड 3 उपखण्ड (II) में किया गया है। इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट गुजरात राज्य की तहसील-दसकोई, जिला- अहमदाबाद की भूमि में गुजरात राज्य में कांडला (गुजरात) से गोरखपुर (उत्तरप्रदेश) तक पेट्रोलियम परिवहन के लिए आई.एच.बी.प्राइवेट.लि. द्वारा क्रियान्वित किए जा रहें "कांडला गोरखपुर एल.पी.जी. परियोजना" के सम्बन्ध में पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थीं:

और उक्त राजपत्र अधिसूचनाओं की प्रतियां जनता को तारीख 12 अक्टूबर 2020 तक उपलब्ध करा दी गई थी।

और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है।

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है।

अतः अब , केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विविर्दिष्ट भूमि में पाईपलाईन बिछाने के उपयोग का अधिकार अर्जित किया जाए:

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आई.एच.बी.प्राइवेट लि. में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए आई.एच.बी.प्राइवेट लि. पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी

अनुसूची				
तालुका- दसकोइ	जिला- अहमदाबाद	राज्य- गुजरात		
गांव का नाम	सर्वे न.	क्षेत्रफल		
		हेक्टेयर	एयर	वर्गमीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
पालडी कांकज	354	00	18	48
	521	00	12	14
	510	00	10	43
	520	00	25	30
	519	00	11	24
	516	00	06	54
	542	00	24	01
	576	00	07	13
	577	00	05	41
	578	00	11	00
	579	00	00	33
	572	00	03	84
	571	00	12	05
	581	00	09	98
	648	00	09	11
	649	00	32	76
	562	00	03	70
	561	00	13	08
	770	00	07	30
	769	00	06	35
	767	00	03	06
	768	00	11	11
	789	00	01	55

	764	00	21	77
	796	00	09	22
	759	00	15	57
	820	00	09	13
	956	00	33	96
	1011	00	16	72
	1001	00	10	42
	1009	00	01	31
	1003	00	00	01
	1004	00	18	08
ओड	262	00	26	45
	264	00	17	85
	766	00	28	07
गिरमथा	234	00	19	63
	232	00	11	51
	214	00	03	21
	125	00	08	71
	126	00	05	69
	124	00	08	64
	133	00	06	23
	134	00	09	45
	189	00	01	59
	138	00	01	25
	141	00	12	36
	142	00	06	55
	111	00	00	38
	109	00	04	67
	110	00	04	01
	108	00	07	74
	107	00	00	97
	104	00	10	40
	102	00	11	36
	54	00	06	96
	56	00	17	65
	27	00	09	41
	24	00	10	13

	28	00	00	13
	23	00	01	55
	29	00	05	39
	30	00	06	21
	10	00	34	95
	11	00	05	20

[फा. सं. -11025(15)/11/2019-ओ.आर-I/ई-32563]

पी सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURE GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th September, 2021

S.O. 4052(E).—Whereas by the notification of The Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, published in the Gazette No. 3129 date : 12/10/2020 S.O No. 3526(E) date: 07/10/2020 part-II, Section-3, Sub-Section (ii) issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (Hereinafter referred to as the said Act) the Central Government declared its intention to acquire the right of user In the land situated in Tehsil - Daskroi District – Ahmedabad in Gujarat State, specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the transportation of Liquified Petroleum Gas from Kandla in the State Gujarat to Gorakhpur in the state of Uttar Pradesh by IHB Pvt. Ltd. for implementing the “Kandla-Gorakhpur LPG Pipeline Project”

And whereas the copies of the said Gazette notification were made available to the public on 12/10/2020

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act, has submitted his report to Central Government.

And whereas, the Central Government after Considering the report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of the user therein;

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user of the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vests on the date of publication of the declaration, in IHB Pvt Ltd, free from all encumbrances .

IHB PVT.LTD shall be exclusively liable for any compensation in terms of section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to pipeline.

SCHEDULE				
TALUKA- DASKROI	DISTRICT - AHMEDABAD	STATE - GUJARAT		
Name of Village (1)	Survey No. (2)	Area		
		Hectare (3)	Are (4)	Sqm (5)
PALDI KANKAJ	354	00	18	48
	521	00	12	14
	510	00	10	43
	520	00	25	30
	519	00	11	24
	516	00	06	54
	542	00	24	01
	576	00	07	13
	577	00	05	41

PALDI KANKAJ	578	00	11	00
	579	00	00	33
	572	00	03	84
	571	00	12	05
	581	00	09	98
	648	00	09	11
	649	00	32	76
	562	00	03	70
	561	00	13	08
	770	00	07	30
	769	00	06	35
	767	00	03	06
	768	00	11	11
	789	00	01	55
	764	00	21	77
	796	00	09	22
	759	00	15	57
	820	00	09	13
	956	00	33	96
	1011	00	16	72
	1001	00	10	42
	1009	00	01	31
	1003	00	00	01
	1004	00	18	08
ODE	262	00	26	45
	264	00	17	85
	766	00	28	07
GIRMTHA	234	00	19	63
	232	00	11	51
	214	00	03	21
	125	00	08	71
	126	00	05	69
	124	00	08	64
	133	00	06	23
	134	00	09	45
	189	00	01	59
	138	00	01	25
	141	00	12	36
	142	00	06	55
	111	00	00	38
	109	00	04	67
	110	00	04	01
	108	00	07	74
	107	00	00	97
	104	00	10	40
	102	00	11	36
	54	00	06	96
	56	00	17	65
	27	00	09	41
	24	00	10	13
	28	00	00	13
	23	00	01	55
	29	00	05	39
	30	00	06	21
	10	00	34	95
	11	00	05	20

[F.No. R-11025(15)/11/2019-O.R-I/E-32563]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.